बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/एल 1–23/2025– /पटना, दिनांक–

डा० इन्द्र शेखर ठाकुर, अधीक्षक (संविदा), पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को अपने निजी खर्च पर दिनांक–**04.10.2025 से 14.10.2025** तक की अवधि में विदेश (जापान) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० ठाकुर, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से सबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेगे।
3. डा० ठाकुर, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
4. डा० ठाकुर, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यो के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेगे।
5. डा० ठाकुर, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तो के अधीन दड के भागी होगे।
6. डा० ठाकुर, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/एल 1–23/2025–964(17) /पटना, दिनांक–22.08.25

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ डा० इन्द्र शेखर ठाकुर, अधीक्षक (संविदा), पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 22/08/25

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Roumish sir/Passport